उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-1
संख्या 01/2020/जी-1-17/दस-2020
लखनऊः दिनांक : 24 अप्रैल, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) कोविड-19 को महामारी घोषित किये जाने तथा प्रदेश में लाकडाउन घोषित होने के कारण राज्य सरकार के राजस्व में आयी कमी एवं साथ ही शासन द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम संबन्धी कार्यों को सम्पादित करने के लिए वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित भत्तों/विशेष वेतन ,जो पूर्व में किसी भी शासनादेश द्वारा राज्य कर्मचारियों, बेसिक शिक्षा परिषद एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा समस्त स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य किया गया हो, को श्री राज्यपाल वर्तमान वर्ष 2020-21(दिनांक 01 अप्रैल,2020 से दिनांक 31 मार्च, 2021 तक) में स्थगित रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) नगर प्रतिकर भत्ता।
(2) सचिवालय भत्ता।
(3) पुलिस विभाग के अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग (सी0बी0सी0आई0डी0),भ्रष्टाचार निवारण संगठन, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, सतर्कता अधिष्ठान,अभिसूचना विभाग, सुरक्षा शाखा एवं विशेष जांच शाखा में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुमन्य विशेष वेतन।
(4) अवर अभियन्ता को अनुमन्य विशेष भत्ता।
(5) लोक निर्माण विभाग में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुमन्य रिसर्च भत्ता, अर्दली भत्ता एवं डिजाइन भत्ता।
(6) सिंचाई विभाग में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुमन्य आई0 एण्ड पी0 भत्ता एवं अर्दली भत्ता।

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 1 एवं 2 तथा आडिट-1 एवं 2, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल , उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, प्रयागराज।
6. निदेशक,अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सरयू प्रसाद मिश्र)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।